13.5.2026 पत्रावली पेश हुई

वादी वकील अनुपस्थित। वादीगण स्वयं भी उपस्थित नहीं हुए।

आज न्यायालय समय में मूलवाद-2 तीन बार आवाजें लगाई गई एवं अदालत उठने से पूर्व पक्ष बार पुनः आवाज लगाई जाने के उपरांत भी वादीगण एवं उनके वकील में से किसी के भी उपस्थित नहीं होने से प्रतीत होता है कि वे वाद में रुचि नहीं रखना चाहते हैं।

फलतः वादीगण एवं उनके वकील की अनुपस्थिति में वाद की स्थिति पर अग्रिम नोटिस एवं आदेश बाद में जारी किया जावेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी